

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक - प्र06-रा0कू0मुद्रण-03/10 - 5090 खाद्य, पटना/दिनांक - 20.5.2011
प्रेषक,

त्रिपुरारि शरण,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :- राशन एवं किरासन कूपन वितरण के संबंध में ।
महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि विभागीय पत्रांक 2401 दिनांक 04.04.11 द्वारा राशन एवं किरासन कूपन वितरण संबंधी विस्तृत निदेश दिये गये हैं । इसी क्रम में विभागीय पत्र सं0- 4099 दिनांक 17.05.11 द्वारा स्मारित करते हुए कूपन वितरण हेतु तैयार किये गए रोस्टर की प्रतियाँ जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने तथा विभाग को भी भेजने का अनुरोध किया गया है । परन्तु इसकी प्रति प्राप्त सूचना के अनुसार न तो जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध करायी गयी है और न इसकी प्रति विभाग को ही प्राप्त हुई है । उक्त पत्र द्वारा वितरण कार्यक्रम के निगरानी हेतु उड़नदस्ता दल का गठन करने का भी निदेश दिया गया है ।

कूपन वितरण के निरन्तर अनुश्रवण हेतु विभाग के स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित है, जिसका दूरभाष संख्या 0612-2210902 है । इसी तर्ज पर अनियमितता की संभावनाओं तथा इससे संबंधित जन शिकायतों के त्वरित निष्पादन एवं निरन्तर अनुश्रवण हेतु जिला स्तर पर एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया जाना अपेक्षित है । कूपन वितरण के दौरान प्रति दिन कूपन वितरण की सूचना विभागीय नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध कराया जाय साथ ही इससे संबंधित प्रतिवेदन ई-मेल secy-fsc-bih@nic.in एवं फैक्स के माध्यम से प्रति दिन निश्चित रूप से भेजी जाय ।

उल्लेखनीय है कि अभी तक बक्सर, लखीसराय एवं जहानाबाद जिले को छोड़कर किसी भी जिले से रोस्टर की प्रति विभाग को प्राप्त नहीं हुई है, अतः इसे शीघ्र उपलब्ध कराया जाय । •

इस क्रम में यह भी कहना है कि जहानाबाद जिले द्वारा कूपन वितरण हेतु जो रोस्टर बनाया गया है उसमें अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त वितरण करने वाले कर्मियों का दूरभाष संख्या भी अंकित किया गया है जो प्रभावी अनुश्रवण के लिए उपयुक्त है । अतएव बेहतर होगा कि आपके जिले में जो रोस्टर तैयार किए गए हो उसमें भी वितरण करने वाले कर्मियों का दूरभाष संख्या भी दर्ज कर लिया जाय तथा इसकी प्रति जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराते हुए विभाग को अविलंब भेजने की कृपा की जाय ।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन,

Handwritten signature

प्रधान सचिव ।